

# यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक पी-2, सैक्टर ओमेगा-1,  
ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)

श्री .....

संख्या : वाई.ई.ए/...../.....

सहायक प्रबन्धक

दिनांक : .....

वर्क सर्किल.....

यमुना एक्सप्रेसवे औ0वि0 प्राधिकरण

## कनैक्शन आदेश

विषय : भूखण्ड/भवन सं0.....सै0/ग्राम..... मे प्रथम.....द्वितीय स्थाई/अस्थाई

कनैक्शन जारी करने हेतु। रजिस्ट्रेशन संख्या.....

दिनांक .....

आबंटी द्वारा अवगत करवाया गया है कि उसके भूखण्ड/भवन संख्या.....  
सै0/गांव.....पर पूर्व में कोई कनैक्शन नहीं है। एक कनैक्शन है। कृपया अपने स्तर पर जांच  
कर यदि कनैक्शन न हो तो कृपया पानी.....एम.एम. और सीवर.....  
एम.एम. का निम्न सूचना/शर्त के आधार पर जारी करने की कृपा करें।

1. यदि आबंटी द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो कनैक्शन को अनाधिकृत मानते हुए दण्डात्मक राशि वसूल की जाएगी और नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी।
2. आबंटी द्वारा कनैक्शन हेतु राशि बिना आगणन के आधार पर/आप द्वारा प्रेषित आगणन दिनांक..... के अनुसार (अन्य मदों की राशि सहित) रु. ....दिनांक ..... को बैंक ..... शाखा.....में जमा करवा दी है जो कि येडा के खाते में दिनांक ..... को क्रेडिट हुए।
3. उपरोक्त राशि रु0 .....में सामग्री हेतु रु0 ..... लेबर कार्य हेतु रु0 .....सिक्योरिटी हेतु रु0.....जमा करवाए गए है। सामग्री एवं लेबर हेतु शून्य राशि जमा होने की दशा में फौरन को छोड़कर समस्त सामग्री/लेबर खर्च आबंटी द्वारा अपने खर्च पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
4. आबंटी द्वारा जल प्रभार की राशि समय समय पर निर्धारित दरों एवं समय के अनुसार स्वतः चालान प्राप्त कर सीधे निर्धारित बैंक में जमा करवाने होंगे। वर्तमान में जल प्रभा की दर रु. ....वार्षिक है जो कि पूरे वर्ष की एक मुश्त जमा करवानी होगी अन्यथा दण्डात्मक/ब्याज राशि के साथ वसूल किए जाएंगे।
5. पानी/सीवर प्रभार इस आदेश के जारी करने के माह से लागू होगा। यदि कनैक्शन निर्गत/प्राप्त न हो तो कृपया अधोहस्ताक्षरी को दस दिन के अर्न्तगत सूचित करें।

प्रतिलिपि : आबंटी

1. श्री.....

वरिष्ठ प्रबन्धक

.....

वर्क सर्किल .....

को सूचनार्थ/कार्यवाही हेतु

2. श्री ..... प्रबंधक को आवश्यक कार्यवाही हेतु